राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1742/2023

गिरिराज प्रसाद बंसल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्व बॉर्ड जरिये रजिस्टार, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.07.2023
आदेश की दिनांक : 08.05.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 04.01.2023 (अनुलग्नक–5) को सेवानिवृत हो गया। अपीलार्थी के सेवानिवृति के बाद पेंशन और अन्य सेवानिवृति परिलाभ जारी नहीं किए जाने के कारण प्रत्यर्थी विभाग के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा पेंशन जारी कराने के संबंध में दिनांक 2703.2023, 11.05.2023, 07.06.2023 एवं 06.07.2023 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए (अनुलग्नक–1) लेकिन इन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति आदेश दिनांक 25.04.1984 के द्वारा पटवारी के पद पर हुई और उसे दिनांक 14.11.1990 को भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया। इसके बाद दिनांक 05.09.2008 को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किया गया था और अतंतः दिनांक 04.10.2013 को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हुए। अपीलार्थी की वास्तविक सेवानिवृति की तिथि 30.06.2023 है, लेकिन उससे पहले कुछ विशिष्ट पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 04.10.2022 के माध्यम से दिनांक 04.01. 2023 को स्वैच्छिक सेवानिवृति की मांग की। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई जांच लंबित नही है और वीआरएस के लिए फाइल दिनांक 09. 11.2022 को राजस्व मंडल को भेज दी गई थी। अपीलर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के

आधार पर राजस्व मंडल ने दिनांक 03.01.2023 के आदेश पारित किया जिसके तहत अपीलार्थी को राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम 50(1) के तहत अपीलार्थी को दिनांक 04.01.2023 को सेवा से सेवानिवृत किया गया। प्रांसगिक समय में अपीलार्थी जयपुर विकास प्राधिकारण में कार्यरत था और इस प्रकार उसे दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–4) को राजस्व बॉर्ड के औपचारिक कार्यमुक्ति आदेश द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया और राजस्व मंडल ने दिनांक 04.01.2023 को आदेश पारित किया जिसके तहत अपीलार्थी को दिनांक 04.01.2023 को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वीआरएस मांगा और दिनांक 04.01.2023 को सेवानिवृत हो गया, लेकिन बिना किसी कारण अपीलार्थी को पेंशन नियम 1996 के तहत आज दिनांक पेंशन और अन्य सेवानिवृति परिलाभ नहीं दिए गए है। राजस्व मंडल ने दिनांक 06.04.2023 को जयपुर विकास प्राधिकरण को अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका भेजने हेतु पत्र लिख तथा दिनांक 25.04.2023 को जेडीए द्वारा सेवा पुस्तिका राजस्व मंडल को भेज दी गई। अपीलार्थी की सेवानिवृति को 6 महीने का समय हो चुका है लेकिन अभी तक अपीलार्थी को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति परिलाभ नहीं दिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को सेवानिवृति दिनांक 04.01.2023 से पेंशन और अन्य सेवानिवृति परिलाभ जारी कराने एवं दिनांक 04.01.2023 सेवानिवृति की तिथी से वास्तविक भुगतान तिथी तक पेंशन और अन्य सेवानिवृति परिलाभों का 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ भुगतान कराने के निर्देश दिए जावे।

प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कई अवानर जवाब प्रस्तुत किए जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रत्यर्थी विभाग का जवाब बंद किया जाकर प्रकरण की बहस सुनी गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 04.01.2023 से पेंशन और अन्य सेवानिवृति परिलाभ 9 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान कराया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभय पक्ष के कथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को राजस्व मंडल अजमेर के आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा दिनांक 04.01.2023 का दिनांक 03.01.2023 को राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत किया गया जिसके अनुसार दिनांक 04.01.2023 अकार्य दिवस माना जायेगा। इस आदेश में यह भी अंकित अपीलार्थी के विरूद्ध सीसीए नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है और इन नियमों

के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है साथ ही कोई न्यायिक कार्यवाही लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.01.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को मध्याह्न पश्चात कार्यमुक्त किया जाकर अपीलार्थी के सेवानिवृति का पेंशन प्रकरण देय पेंशन परिलाभों के भुगतान की स्वीकृति एवं सेवानिवृति पर बकाया अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान किए जाने हेतु कार्यालय राजस्व मंडल अजमेर को अधिकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा पेंशन स्वीकृति के संबंध में निबंधक राजस्व मंडल अजमेर को कई बार निवेदन किया गया। प्रस्तुत सभी आवेदन (अनुलग्नक–1) पर उपलब्ध है जिसके अनुसार अपीलार्थी ने पेंशन पोर्टल पर दिनांक 17.03.2023 को अपना पेंशन प्रकरण ऑनलाईन कर दिया और उसके लगातार निवेदन करने के बाद में अभी तक पेंशन और अन्य सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को लंबित पेंशन प्रकरण और अन्य देय सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान नियमानुसार स्वीकृति की जाकर निर्णय के 2 माह से अवधि में किया जाना सुनिश्चित करे और विलंब अवधि के लिए अपीलार्थी को देय राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य